न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 106/2017 धारा 223 आरटीए

गुरविन्द्रसिंह बनाम गुरदेव सिंह

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.05.18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा वादी गुरदेवसिंह प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. स्वीकार किया गया। उक्त अपील में दिनांक 04.05.2018 को बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि इसी आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष गुरविन्द्रकौर बनाम हरबंस कौर दिनांक 11.07.2016 को पेश हुआ है। उक्त वाद की वर्तमान स्थिति क्या है के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2018 को तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। किन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं ही आज उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 100/2016 गुरविन्द्र कौर बनाम हरबंस कौर की पत्रावली की आदशिका दिनांक 11.07.2016 से 23.03.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जो शामिल पत्रावली रहे। इससे स्पष्ट है कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष वाद विचाराधीन है। इससे किसी भी पक्षकार ने इन्कार नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब एक ही भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में वाद निर्णित हो चुका है एवं अन्य वाद अधी. न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का आदेश दिनांक 11.02.2017 निरस्त कर प्रकरण अधी. न्यायालय	

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन वाद सं. 100/2016 गुरविन्द्रकौर बनाम हरबंस कौर के साथ इकजाई कर दोनों दावों का एक साथ निर्णय किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (उप.)